



2026:AHC:14575

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 36258 सन् 2025

अमरजीत पाल एवं अन्य

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अनुराग राय, विनय कुमार जायसवाल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: अंकिता पांडे, जी.ए.

Neutral Citation No. - 2026:AHC:14575

AFR

दिनांक 25.11.2025 को निर्णय सुरक्षित

दिनांक 21.01.2026 को निर्णय प्रदत्त

दिनांक 21.01.2026 को निर्णय अपलोडेड

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार जायसवाल, राज्य के लिए विद्वान एजीए-आईएसटी सुश्री सीमा शुक्ला और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंकिता पांडे को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत आवेदन क्रमशः आरोपी/आवेदकों, बेटे और उसकी मां द्वारा धारा 69 352, 351(3) बीएनएस और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, की धारा 3, 4 थाना बरवापट्टी, जिला कुशीनगर के तहत अपराध के लिए मुकदमा अपराध संख्या 38 सन् 2025 से उत्पन्न होने वाले सत्र वाद संख्या 1241 सन् 2025 (राज्य बनाम अमरजीत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पाल और अन्य) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है। ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि बलात्कार का आरोप आवेदक संख्या 1 पर शादी के झूठे वादे पर है। पीड़िता ने गलत तरीके से अपनी उम्र 18 वर्ष से कम दिखाई है, हालांकि उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है; पीड़िता की मां ने शुरू में धारा 175 (3) बीएनएसएस के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसे शिकायत में बदल दिया गया था, लेकिन बाद में उस शिकायत को वापस ले लिया गया और पुनरीक्षण याचिका को निरर्थक के रूप में खारिज कर दिया गया, जिसमें वही अभियोजन पक्ष का मामला है जैसा कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है। आगे प्रस्तुत करता है कि पीड़ित एक सहमति देने वाला पक्ष था और पीड़ित द्वारा आंतरिक चिकित्सा परीक्षा से इनकार किया गया था और अंत में धारा 233 बीएनएसएस के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

3. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए ने कहा है कि पीड़िता नाबालिग थी, जिसके साथ आवेदक संख्या 1 द्वारा शादी के झूठे वादे पर लगातार बलात्कार किया गया है। पक्षों के बीच समझौता हुआ कि आवेदक संख्या 1 और पीड़िता की शादी हो जाएगी, जिसके लिए शादी के निमंत्रण कार्ड छपवाए गए थे जिसमें शादी की तारीख 23.05.2025 लिखी गई थी, लेकिन आरोपी/आवेदक संख्या 1 ने मना कर दिया है। आगे प्रस्तुत करता है कि पीड़िता नाबालिग थी क्योंकि संभोग के लिए उसकी सहमति, जिसे आवेदक संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जाता है, बलात्कार की श्रेणी में आता है। आगे प्रस्तुत करता है कि शुरू में शिकायत पुलिस स्टेशन में की गई थी जो दर्ज नहीं की गई थी। इस प्रकार, विपक्षी संख्या 2 ने धारा 175 (3) बीएनएसएस के तहत एक आवेदन दायर किया है और साथ ही साथ शिकायत को उच्च पुलिस अधिकारियों को भेजा है। जब उच्च पुलिस अधिकारियों ने संबंधित पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया है, तो एफआईआर दर्ज की गई थी। इस बीच, धारा 175 (3) बीएनएसएस के तहत आवेदन को एक शिकायत में बदल दिया गया था, जिसे पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिकायत वापस ले ली गई थी, जिसे पीड़िता की मां द्वारा दायर किया गया था और पुनरीक्षण निष्फल हो गया और इसलिए निष्फल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के रूप में खारिज कर दिया गया था। आगे प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत पूर्व-संज्ञान चरण में वापस ले ली गई थी, इसलिए धारा 233 बीएनएसएस का प्रावधान लागू नहीं होगा। आगे प्रस्तुत करता है कि यह आवेदक का एक स्वीकृत मामला है कि आवेदक संख्या 1 ने पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए हैं, जिसे कथित तौर पर सहमति दी गई थी, जबकि नाबालिग के साथ सहमति कानून की नजर में कोई सहमति नहीं है, क्योंकि इस तरह यह प्रस्तुत करता है कि आवेदन गुण-दोष से रहित है और अस्वीकार किए जाने का हकदार है।

4. इस न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखा है।

5. अभियोजन पक्ष का मामला आवेदकों के खिलाफ पीड़िता के भाई द्वारा दर्ज कराई गई दिनांक 26.05.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विकसित हुआ, जिससे पता चलता है कि पीड़िता की जन्मतिथि 01.01.2008 है और पिछले चार वर्षों से, आरोपी/आवेदक संख्या 1 शादी के झूठे वादे पर पीड़िता के साथ यौन संबंध बना रहा था, जब आरोपी/आवेदक ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया है, तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपनी दुर्दशा के बारे में सूचित किया है। आरोपी/आवेदक और पीड़िता के परिवार के सदस्यों की मुलाकात हुई और इस बात पर समझौता हुआ कि दोनों की शादी 23.05.2025 को होगी लेकिन बिदाई समारोह तभी किया जाएगा जब पीड़िता 18 वर्ष की हो जाएगी। निमंत्रण कार्ड वितरित किए गए थे और वर्तमान एफआईआर तब दर्ज की गई थी जब आरोपी/आवेदक संख्या 1 ने शादी करने से इनकार कर दिया था। आरोपी/आवेदक संख्या 1 की मां के खिलाफ आरोप आपराधिक धमकी का है।

6. पीड़िता ने धारा 183 बीएनएसएस के तहत अपने बयान में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि वह हाई स्कूल पास है और 01.01.2008 को पैदा हुई है और पिछले 4 वर्षों से, आरोपी/आवेदक शादी के वादे पर उसके साथ यौन संबंध बना रहा है। हालांकि, उसने धारा 180 बीएनएसएस के तहत अपने बयान में कहा है कि वह संभोग के लिए सहमति दे रही है। उसने अपनी आंतरिक चिकित्सा विवेचना कराने से भी इनकार कर दिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए पीड़िता के हाई स्कूल प्रमाण पत्र से पता चलता है कि उसकी जन्मतिथि 01-01-2008 है।

7. अभियुक्त/आवेदकों ने धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन के साथ हलफनामे के पैरा 18 में स्पष्ट और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्त/आवेदक संख्या 1 पीड़िता के घर जाता था क्योंकि वह पीड़िता की भाभी (भाभी) का रिश्तेदार है और दोनों के बीच पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध था और पीड़िता की सहमति पर शारीरिक संबंध थे। हलफनामे के प्रासंगिक पैराग्राफ-18 को नीचे दोहराया गया है: -

18. यह कि आवेदकों के खिलाफ पहले सूचनाकर्ता द्वारा स्थापित कहानी सही नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि पीड़ित और आवेदक संख्या 1 बड़ी लड़की और लड़का है और आवेदक संख्या 1 पीड़िता के घर पर उसकी भाभी (भाभी) के रिश्ते के कारण नियमित रूप से आगंतुक था और जहां वे समय-समय पर एक-दूसरे से मिलते थे और बीच में वे प्यार में पड़ गए थे और तब से चार साल से, वे एक-दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे और उसके बाद, वे मिले और उनकी स्वतंत्र और पसीने से इच्छा से एक-दूसरे के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब सूचनाकर्ता के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो सूचनाकर्ता ने आवेदकों पर आवेदक संख्या 1 की अपनी बहन/पीड़िता के साथ शादी करने के लिए दबाव डाला, लेकिन आवेदकों ने इसके लिए मना कर दिया। झूठी कहानी बनाई गई है और आवेदकों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठी एफआईआर दर्ज की गई है ताकि उन्हें परेशान किया जा सके और साथ ही उन पर पीड़िता के साथ शादी करने का दबाव बनाया जा सके।

अभियुक्त/आवेदक संख्या 1 की इस स्वीकारोक्ति का उत्तर विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस तरह से दिया गया है कि अभियुक्त/आवेदक संख्या 1 ने पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए हैं, यह जानते हुए कि पीड़िता नाबालिग थी और शुरुआत से ही शादी का झूठा वादा किया गया था। इस झूठे वादे के कारण ही अभियुक्त/आवेदक संख्या 1 ने निर्धारित तिथि यानी 23.05.2025 को विवाह करने से इनकार कर दिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. इन प्रथम दृष्टया तथ्यों पर, वर्तमान आवेदन में चिंता का विषय यह है कि क्या लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है या मुकदमा न्याय के गर्भपात का कारण बनता है।

9. विवेचना के बाद, विवेचना अधिकारी ने आवेदक संख्या 1 के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए धारा 69 बीएनएस (शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध) के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया है और दोनों आरोपी आवेदकों के खिलाफ आपराधिक अपमान और धमकी दी है।

10. रिकॉर्ड के फेस पर, पीड़िता नाबालिग है जैसा कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न उसके मैट्रिक प्रमाण पत्र से दिखाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि पीड़ित की आयु लगभग 20 वर्ष है और मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिखाई गई जन्म तिथि केवल प्रमाण पत्र आयु है। विद्वान अधिवक्ता के तर्क का कोई आधार नहीं है क्योंकि मैट्रिक प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जानी है।

11. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 में प्रावधान है कि जो कोई भी, धोखे से या किसी महिला से शादी करने का वादा करके, उसे पूरा करने के इरादे के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध के बराबर नहीं है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

12. बीएनएस की धारा 69 में निहित प्रावधान दंड कानून में एक नया समावेश है, जिसमें शादी के झूठे वादे सहित धोखे से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है, बल्कि दंडनीय बनाया गया है। अधिनियमन से पहले, न्यायालयें धारा 375 आईपीसी (बलात्कार) के प्रावधानों के साथ-साथ धारा 90 आईपीसी (भय या गलत धारणा के तहत दी जाने वाली सहमति) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के आचरण की व्याख्या करती हैं। धोखेबाज साधनों की धारा 69 बीएनएस के तहत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण में पहचान छिपाने के बाद रोजगार या पदोन्नति, प्रलोभन या शादी का झूठा वादा शामिल होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. यद्यपि बलात्कार के अपराध के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन न्याय के हित में यह समीचीन होगा कि धारा 63 बीएनएस के तहत बलात्कार के प्रावधान से निपटा जाना आवश्यक है, जो स्पष्ट रूप से सात परिस्थितियों में उपधारा (ए) से (डी) के तहत प्रदान किए गए निहितार्थ के माध्यम से यौन संभोग का प्रावधान करता है, बलात्कार माना जाता है। उपधारा (vi) के तहत यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि यदि प्रवेश उसकी सहमति के साथ या उसके बिना है जब वह 18 वर्ष से कम उम्र की है। वर्तमान मामले में, संभोग को आवेदक संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जाता है और पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है, जैसा कि उसके मैट्रिक प्रमाण पत्र से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है।

14. अन्यथा भी धारा 69 बीएनएस धोखेबाज साधनों में से एक के रूप में विवाह के झूठे वादे को नियोजित करके संभोग का प्रावधान करती है। **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 9 एससीसी 608** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के झूठे वादे के बीच एक स्पष्ट अंतर खींचा है, जो निर्माता द्वारा यह समझने पर दिया जाता है कि इसे तोड़ा जाएगा और वादे का उल्लंघन जो अच्छे विश्वास में किया गया है लेकिन बाद में पूरा नहीं किया गया है। यह पूर्व है जो पूरी तरह से दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करता है।

15. जहां तक पीड़ित की मां द्वारा धारा 175 (3) बीएनएसएस के तहत आवेदन करने का संबंध है। विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, कुशीनगर की न्यायालय ने दिनांक 01.04.2025 के आदेश द्वारा आवेदन का निस्तारण करते हुए इसे शिकायत में बदल दिया है और धारा 223 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए 23.04.2025 की तारीख तय की है। एफआईआर 26.05.2025 को दर्ज की गई थी और 29.05.2025 को पीड़िता की मां ने शिकायत नहीं की थी, जिसे उसी दिन खारिज कर दिया गया था। यह दिनांक 01.04.2025 का आदेश है, जिसके तहत न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसे 2025 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2685 के रूप में पंजीकृत इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 02.07.2025 के आदेश द्वारा इस संशोधन को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया है। इससे पता चलता है कि न तो विशेष न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने आरोपी को समन करने के लिए लगाए गए आरोपों पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचार किया है और इसलिए, मंच पूर्वमान्यता चरण था। इस प्रकार, धारा 233 बीएनएसएस अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं डालेगी क्योंकि यह प्रावधान दोनों के परस्पर विरोधी परिणाम से बचने के उद्देश्य से दो मामलों की चकबंदी के बारे में है। इसलिए, धारा 528 बीएनएसएस के तहत दायर किया गया आवेदन गुण-दोष से रहित है और खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

16. धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन एतद्वारा **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

जनवरी 21, 2016

अभिषेक श्री